5 Rs

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

पाँच रुपये

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

INSPECTOR GENERAL ... REGISTRATION

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

19-1-02

सहा. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार

5 R$

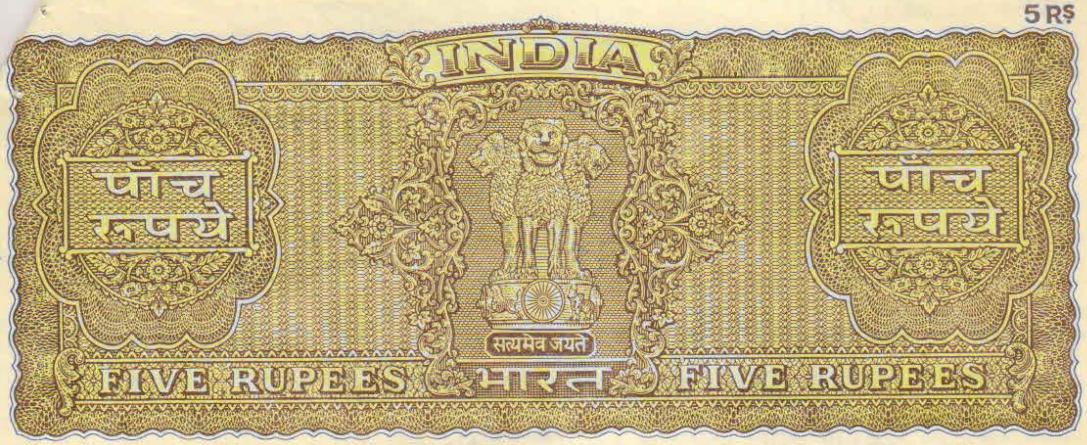

यह सत्यापित प्रतिलिपि है।

14-1-02

आज्ञे, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार

(11) 8

"दुर- देहात "

का

. स्मृति- पत्र

1. संस्था का नाम : " दूर- देहात " होगा ।

2. निबंधित कार्यालय : इस संस्था के निबंधित कार्यालय -ग्राम-माना राय टोल, पो0-नरहन, जिला-समस्तीपुर (बिहार) होगा, आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन करने की सूचना निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को 15 दिनों के अन्दर दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र : इस संस्था के कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।

4. उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें :-

(क) संस्था के द्वारा एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना हेतु लोगो को जागरूक करना एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना ।

(ख) समाज के गरीब, हरिजन, पिछड़े, अल्पसंख्यक के आर्थिक शारेरिक एवं मानसिक शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।

(ग) समाज के सभी लोगो के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना । स्वास्थ्य सेवा केन्द्र का स्थापना शिक्षण एवं संचालन करनाएवं असाध्य रोग एवं एड्स, कुष्ठ, कैंसर, परिवार नियोजन, टीकाकरण, से बचने के लिए आवश्यक जानकारी देना ।

(घ) जनसंख्या नियंत्रण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर का आयोजन करना ।

(ङ) महिलाओ एवं बच्चो के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, पालनागृह आदि का संचालन करना ।

(च) अनाथ बच्चे वृद्ध विधवाओं परित्यक्ताओं के आश्रय स्थल, भोजन चिकित्सा की व्यवस्था करना ।

(छ) बाल श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिक के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना ।

(ज) विकलांगो को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु कृत्रिम अंग, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना ।

(झ) ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वनियोजन बनाने हेतु स्वच्छ पेयजल, शौचालय, आदि को स्वच्छ पेयजल, आदि उपलब्ध कराना ।

§ड§ कृषि के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार उन्नत बीज, उन्नत खाद सिंचाई के उपर्युक्त साधन जैसे जलछाजन, नलकूप , तालाब आदि उपलब्ध कराना ।

§ढ§ महिलाओं एवं पुरूषो को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, कशीदाकार एपलिक, पेन्टिंग, के बारे में जानकारी देना ।

§ण§ गरीब एवं नि:सहाय महिलाओं एवं पुरूषो का आत्म निर्भर बनाने हेतु लघु उधोग, कुटीर उधोग, गृह उधोग, खादी ग्रामोधोग खाद्य एवं फल प्रसंस्करण आदि के बारे में प्रशिक्षण देना ।

§त§ शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को हस्तकला, शिल्पकला, टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर आदि के बारे में प्रशिक्षण देना । एवं विज्ञान प्राधोगिक के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना ।

§थ§ पुस्तकालय वाचनालय, संगीतालय की स्थापना कर लोगो के बौद्धिक विकास में मदद करना । नृत्य , संगीत, नाटक वाध , क्षेत्रीयगीत, लोकगायण की जानकारी देना एवं विलुप्त हो रही कलाओं का खोज करना ।

§द§ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , पंचायती राज वयस्क मताधिकार के बारे में लोगो को जागरूक करना एवं आवश्यक जानकारी देना ।

§ध§ बागवानी विकास हेतु कार्यक्रम संचालित करना ।

§न§ नशाखोरी दहेज प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृति, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना एवं बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटना आपदाओं में शिविर लगाकर राहत कार्य संचालित करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

02AA 980779

दूर देहात

पंजीकृत कार्यालय – मानाराय टोल, पो0–नरहन, जिला–समस्तीपुर–848211 (बिहार)

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा, पद नीचे दिया गया है । वर्त्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिनपर संस्था के नियमानुसार दिनांक 20.01.2011 से प्रबंध का भार सौंपा गया है ।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति	योग्यता	उम्र	पता	पद
1	दिनेश कुमार दिनकर	श्री रामचन्द्र महतो	स्नातक	37	खोकसाहा, पो0–माधोपुर, भाया–नरहन, जिला–समस्तीपुर–848211	अध्यक्ष
2	प्रभूनारायण झा	श्री सदानन्द झा	स्नातक	35	ग्राम–मानाराय टोल, पो0–नरहन,समस्तीपुर–848211	सचिव
3	राजेश झा	श्री तेजनारायण झा	अन्तर स्नातक	34	ग्राम–मानाराय टोल, पो0–नरहन,समस्तीपुर–848211	कोषाध्यक्ष
4	पिंकी कुमारी	श्री प्रहलाद शर्मा	मैट्रिक	27	खोकसाहा, पो0–माधोपुर, भाया–नरहन, समस्तीपुर–848211	सदस्य
5	कुमारी कल्याणी	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह	स्नातक	25	ग्राम+पो0–कापन, भाया–सिंघियाघाट, जिला–समस्तीपुर –848236	सदस्य
6	शांति देवी	श्री शशिकान्त झा	एम.ए.	42	ग्राम+पो0–चकहवीब भाया–दलसिंहसराय, जिला–समस्तीपुर –848114	सदस्य
7	रेणू कुमारी	श्री दिनेश कुमार राम	अन्तर स्नातक	23	ग्राम+पो0–कापन, भाया–सिंघियाघाट, जिला–समस्तीपुर –848236	सदस्य

(7) (4)

दूर देहात
की
नियमावली

1· संस्था का नाम :- " दूर देहात " ।

2· परिभाषा:-

क) संस्था से अभिप्राय है : " दूर देहात " ।

ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है: अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ) वर्ष से अभिप्राय है : 1ली जनवरी से 31 दिसम्बर तक ।

ङ) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

3· सदस्यता:-

प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हो वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/=रूपया प्रवेश शुल्क एवं 21/=रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

4· सदस्यता की समाप्ति:-

निम्नलिखित परिस्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जायेगी -

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख) पागल या मृत्यु होने पर ।

ग) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

ङ) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

च) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने पर ।

5· कार्यकारिणी समिति का गठन:-

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित सात सदस्य होंगे ।

ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा

ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षों की होगी । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।

घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है । लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव

6· कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य:-

क) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होगा ।

ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना ।

ग) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य सम्पादित करना ।

घ) उपशाखा का निर्माण करना ।

ङ·) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार-विमर्श करना ।

च) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना ।

7· आम सभा के अधिकार एवं कार्य:-

क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख) संस्था के आय व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।

ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8· बैठक :-

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।

ख) आम सभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में होगी ।

ग) कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

9· प्रार्थित बैठक :-

1/3 सदस्यों के लिखित मांग पर आवेदन प्राप्त के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

10· बैठक की सूचना:-

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी ।

ख) आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।

ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।

घ) आम सभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी ।

ङ·) बैठक की सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी ।

11· कोरम :-

12· पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य:-

अध्यक्ष:-

क) संस्था की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष में समान मत आने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

सचिव:-

क) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ड·) संस्था के आय व्यय का अंकेक्षण करना ।

च) अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना ।

छ) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सलाह पर करना ।

ज) संस्था के हित में कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष:-

क) संस्था के आय व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना

ख) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग) संस्था के कोष को किसी निर्बंधित बैंक/डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना।

13· आय का श्रोत:-

क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख) सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान एवं सहायता ।

ग) प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विक्री से ।

14· कोष का संचालन:-

संस्था की सभी राशियाँ संस्था के नाम खुले डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

15· निधि का अंकेक्षण:-

क) संस्था के आय व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आय व्यय के

16· पंजी का निरीक्षण:-

संस्था की सभी पंजियां निबंधित कार्यालय में रहेगी जहां कोई भी सदस्य [illegible] [illegible] सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

17· नियमावली में संशोधन:-

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

18· कानूनी कार्रवाई:-

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

19· विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था:-

क) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ख) संस्था के विघटनोपरान्त जो चल या अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है ।

शान्ति कुमारी	नूतन देवी	प्रभुनारायण झा
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव

I 742/2001-2002
"दूर-देहात"
आम सभा का प्रस्ताव

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है ।
14.1.02
बास्ते. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार